न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी – श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

अपील संख्या 2014/04 दायर दिनांक 23.09.2014

अपीलार्थी		रेस्पोडेन्ट
1. गोविन्दराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. डालुराम पुत्र रतनाराम 2. पुरखाराम पुत्र रतनाराम 3. सुरजाराम पुत्र रतनाराम 4. चुन्नीदेवी पुत्री रतनाराम समस्त जाति जाट निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना 5. राजु पुत्र बिडदीदेवी (फौत) पुत्री रतनाराम पत्नी मानाराम 6. हजारी पुत्र बिडदीदेवी (फौत) पुत्री रतनाराम पत्नी मानाराम 7. बाली पुत्री बिडदीदेवी (फौत) पुत्री रतनाराम पत्नी मानाराम 8. गीता पुत्री बिडदीदेवी (फौत) पुत्री रतनाराम पत्नी मानाराम 9. सीता पुत्री बिडदीदेवी (फौत) पुत्री रतनाराम पत्नी मानाराम 10. सुखीदेवी पुत्री रतनाराम 11. सुवटी देवी पुत्री रतनाराम 12. सोनी पुत्री रतनाराम समस्त जाति जाट निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर 13. सरपंच ग्राम पंचायत खुनखुना तहसील डीडवाना

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 01.02.1999 खसरा सं0 209/343 सरहद गोदरास का सरपंच ग्राम पंचायत खुनखुना द्वारा बिना जांच के स्वीकृत किये जाने के विरूद्ध

उपस्थित :–

1. पक्षकरान

–:: निर्णय ::–

दिनांक 20.06.2017

अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, मौजा गोदरास की शरहद में खेत खसरा सं0 209/343 रकबा 32 बीघा की खातेदारी पहले अपीलान्ट के

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

अपील, संख्या–2014/04
दायर दिनांक 23.09.2014, निर्णय दिनांक 20.06.2017
गोविन्दराम बनाम डालूराम वगैराह

पिता स्व0 रतनाराम के नाम से थी। स्व0 रतनाराम के दो पत्नियां थी। पहले वाली पत्नी अणची के रेस्पोडेन्ट सं0 एक पैदा हुआ। पहली पत्नी के मरने के बाद दुसरी शादी की उस पत्नी झमकु क अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 03 पैदा हुए जो स्व0 रतनाराम के जायज वारिसान है। रेस्पोडेन्ट सं0 01 डालूराम लगभग 25 वर्ष की उम्र में अपने पिता के खर्चे से सन् 1969 में 13 बीघा जमीन अलग खरीद कर अपना चल व अचल भूमि का सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा बंट लेकर अपने उक्त संयुक्त हिन्दु परिवार से अलग हो गया व उसकी शादी व उसकी दोनों बहिनों की शादिया कर दी थी। बहिने ससुराल चली गई। रतनाराम के संयुक्त हिन्दु परिवार में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 03 व उसकी पत्नी झमकु सदस्य थे और अलग अलग होने के बाद संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्तखानदान स्व0 रतनाराम था। रतनाराम सन् 1998 में फौत होने पर रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने राजस्व कर्मचारियों व सरपंच से साठ गांठ कर रतनाराम का फौतगी म्यूटेशन सं0 241 दिनांक 01.02. 1999 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 03 व झमकु के साथ खसरा सं0 209/343 में अपना नाम डालूराम दर्ज करवा लिया। उक्त गलत म्यूटेशन से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमान के समक्ष निम्न आधारों पर अपील पेश करता है।

अपील के आधारः–

1. यह है कि योगय सरपंच ग्राम पंचायत खुनखुना ने अपनी अधिकारों का दुरूपयोग किया है तथा जांच नहीं कर मर्जी से उक्त म्यूटेशन करने में भारी भूल की है। जो जैर अपील खारिज योग्य है।
2. यह है कि योग्य सरपंच ग्राम पंचायत खुनखुना ने स्व0 रतनाराम का फौतगी म्यूटेशन भरते समय बिना पंचों की राय लिए व बिना अपीलान्ट को सूचना के उक्त म्यूटेशन स्वीकार करने में तथ्यात्मिक भूल की है इसलिए म्यूटेशन का आदेश जैर अपील खारिज योग्य है।
3. यह है कि योग्य सरपंच ग्राम पंचायत खुनखुना ने स्व0 रतनाराम का फौतगी म्यूटेशन भरते समय यह भी जांच नहीं की कि स्व0 रतनाराम का परिवार एक संयुक्त हिन्दु परिवार था। जिसका रेस्पोडेन्ट सं0 एक डालूराम व उसकी बनि सन् 1970 के बाद सदस्य नही थे। स्व रतनाराम के जीवन काल में ही रेस्पोडेन्ट सं0 एक डालूराम 25 वर्ष की उम्र में अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा लेकर राजी खुशी अपने उक्त संयुक्त हिन्दु परिवार से अलग हो गया। उसको संयुक्त हिन्दु परिवार के रहते हुए सन् 1969 में 13 बीघा जमीन उसके नाम से खरीद कर उसको बन्ट में दे दी थी। इसलिए उक्त म्यूटेशन खारिज करने योग्य है।
4. योग्य सरपंच ग्राम पंचायत खुनखुना ने स्व0 रतनाराम का फौतगी म्यूटेशन भरते समय यह भी जांच नहीं की कि स्व0 रतनाराम की पत्नी अणची देवी के मरने के बाद रतनाराम ने दुसरी पत्नी झमकु से हिन्दु रिती रिवाज से अग्नी के समक्ष सात फेरे लेकर शादी की थी। इस प्रकार रतनाराम की पहली पत्नी से डालूराम व दो पुत्रिया व दुसरी पत्नी से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 03 व तीन पुत्रिया हुए। मगर पहली पत्नी का पुत्र डालूराम को राजी खुशी 13 बीघा जमीन खरीद कर दे दी थी। रतनाराम के संयुक्त हिन्दु परिवार से डालूराम अलग होने के बाद डालूराम का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा था। जो जमीन 32 बीघा रतनाराम के नाम से खरीदी गई थी। वह जमीन रतनाराम के संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 03 व तीन पुत्रीयों की कमाई की स्व अर्जित अर्थात संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि थी। रेस्पोडेन्ट डालूराम ने सरपंच से साठ गांठ कर उक्त रतनाराम का फौतगी म्यूटेशन जैर अपील अपना नाम

सहायक कलक्टर
श्रीडूंगरगढ़

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 03 के साथ स्वीकार करवालिया जो म्यूटेशन जैर अपील खारीज योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत खुनखुना के म्यूटेशन सं0 241 दिनांक 01.02.1999 खसरा सं0 209/343 सरहद गोदरास का खारिज कर रेस्पोडेन्ट डालूराम का नाम हटा कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 03 के नाम भरा जावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गोदरास में पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 01 उपस्थित। मजमें आम में प्रकरण की जानकारी ली गई। ग्रामपंचायत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व न तो मौका स्थिति की जाँच की थी तथा न ही वारिसान की जांच की तथा न ही अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया गया है। ग्रामपंचायत के आदेश में विधिक् त्रुटि है।

अतः म्यूटेशन संख्या 241दिनांक 01.02.1999 द्वारा ग्रामपंचायत खुनखुना, खारिज किये जाने योग्य होने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

–:: आदेश ::–

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर सरहद मौजा खुनखुना तहसील डीडवाना के आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 01.02.1999 में पारित ग्राम पंचायत खुनखुना का अपीलाधीन "स्वीकृत आदेश" निरस्त कर तहसीलदार डीडवाना को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा रेकर्ड का अवलोकन करते हुए नामान्तरकरण पुनः स्वीकृति की कार्यवाही करे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **20.06.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गोदरास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दिनांक :- 9/10/17

नोट:- बाबें सरहद मौजा खुनखुना के स्थान पर वाबें सरहद मौजा गोदरास इन्द्राज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner